कूरियर
राआबैंक(नदि)/डीआरएस/कवर निर्देश-28 /827/2009-10
दिनांकित : 04 फरवरी, 2010

जमा राशियां स्वीकार करने वाली सभी आवास वित्त कंपनियों को

महोदय,

जमा राशियां स्वीकार करने वाली आवास वित्त कंपनियों का अधिग्रहण/नियंत्रण हस्तांतरण करने के मामलों में राष्ट्रीय आवास बैंक से पूर्व अनुमोदन आवश्यक

कृपया ध्यान दें कि राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29ए के तहत, एक आवास वित्त कंपनी को राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा पंजीकरण प्रमाण-पत्र, यह संतुष्टि करने के बाद प्रदान किया जाता है कि अन्य बातों के साथ-साथ, उसके प्रबंधन या प्रस्तावित प्रबंधन की सामान्य प्रकृति जनहित या उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए।

2. राष्ट्रीय आवास बैंक को यह सत्यापन करने के लिए कि आवास वित्त कंपनी का प्रबंधन पूर्वोक्त प्रकृति को लगातार बनाये हुए है, यह निर्णय लिया गया है कि जमा राशियां स्वीकार करने वाली आवास वित्त कंपनी का कोई अधिग्रहण या उसके शेयरों अधिग्रहण करने या जमा राशियां स्वीकार करने वाली आवास वित्त कंपनी का किसी अन्य के साथ विलयन/समामेलन या किसी संस्थान का जमा राशियां स्वीकार करने वाली आवास वित्त कंपनी में विलयन/समामेलन, जिससे अधिग्रहणकर्ता/अन्य संस्थान को जमा राशियां स्वीकार करने वाली आवास वित्त कंपनी पर नियंत्रण मिल जाएगा, के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक से पूर्व अनुमति लेनी होगी ।

3. इस संबंध में आवेदन पत्र विनियमन एवं पर्यवेक्षण विभाग, राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली के मुख्यालय को प्रस्तुत किये जा सकते हैं ।

4. राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (53/1987) के तहत शक्तियों का प्रयोग करत हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी अधिसूचना यथा निर्देश सं. एनएचबी.एचएफसी.निर्देश 28 दिनांक 3 फरवरी, 2010 को पूर्णतया अनुपालन करने के लिए संलग्न किया जाता है ।

भवदीय

राम रूपानी

महाप्रबंधक

विनियमन एवं पर्यवेक्षण विभाग

संलग्न : यथोपरि